मु० नम्बर.....किस्म.....

.....उनवान.....

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौ

दिनांक	फर्द अहकाम
26/11/25	पत्रावली पेश हुई। बार-बार आवाज दिलाने पर भी सायलान एवं उनके अधिवक्ता उप. नहीं हुए। अतः मु.नं. 356/2021 उनवान भगवान सिंह बनाम वकील तामिला पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा अदम पैरवी अदम हाजिरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बार तमील नं. से कम की जाकर मूल रोवे के साथ शामिल मिसल रहे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।